

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बी/उत्तर मैट्रिक/2021-22

दिनांक : 30.07.21

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक-मुख्यालय

विषय : विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत सत्र 2021-22 के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र शालादर्पण पोर्टल पर प्राप्त करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

राजस्थान राज्य में स्थित समस्त राजकीय विद्यालयों में सत्र 2021-22 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में विद्यार्थियों द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र जमा करवाने एवं संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	अंतिम तिथि
(अ)	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु केवल राजकीय विद्यालयों के कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा संस्था प्रधान से शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार ऑनलाईन रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने एवं संस्थाप्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	16.08.2021

उपरोक्त समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, विस्तृत दिशा निर्देश, पात्रता एवं शर्तें, छात्रवृत्ति की दरें तथा संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.rajasthan.gov.in/secondary के Scholarship Tab एवं शालादर्पण के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर ऑनलाईन उपलब्ध होगी। अतः आप अपने अधिनस्थ समस्त संस्थाप्रधानों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान कर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल से प्राप्त हुए समस्त ऑनलाईन आवेदनों को सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा-मुख्यालय द्वारा शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान विद्यार्थी को बैंक खाते के माध्यम से किए जाने की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। समस्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पत्र के साथ संलग्न है।

(सौरभ स्वामी)

I.A.S.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमांक :- शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बी/उत्तर मैट्रिक/2021-22
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 30.07.21

1. उपशासन सचिव शिक्षा,(ग्रुप-6) विभाग राजस्थान,जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
3. उपनिदेशक(योजना), कार्यालय हाजा
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.,राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त समस्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए शालादर्पण पोर्टल पर स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल को दिनांक 30.07.2021 से आरंभ करावें।
5. शालादर्पण प्रकोष्ठ,उपनिदेशक,माध्यमिक शिक्षा, जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त समस्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए शालादर्पण पोर्टल पर स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल को दिनांक 30.07.2021 से आरंभ करावें। साथ ही तकनीकी समस्या आने पर उनका निस्तारण भी करावें।
6. शाला दर्पण प्रकोष्ठ,कार्यालय हाजा को लेख है कि एन.आई.सी.,राजस्थान सरकार, जयपुर से सम्पर्क कर उक्त समस्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए शालादर्पण पोर्टल पर स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल को दिनांक 30.07.2021 से आरंभ करावें। साथ ही तकनीकी समस्या आने पर उनका निस्तारण भी करावें।
7. समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) को अपने अधीनस्थ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा-मुख्यालय, ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्थाप्रधानों को समय पर शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भरवाने हेतु पाबन्द करते हुए आप अपने कार्यालय स्तर से प्रभावी मोनिटरिंग करते हुए पालना सुनिश्चित करावें।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधीनस्थ ब्लॉक जिशिअ कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी कर उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करें।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कार्यालय स्तर से भी प्रभावी प्रबोधन व निरीक्षण करते हुए पालना सुनिश्चित करावें।
10. वरिष्ठ सम्पादक शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
11. समस्त सरकारी संस्थाप्रधान को अनिवार्यतः पालनार्थ ।
12. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग,को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने बाबत।
13. रक्षित पत्रावली।


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बी/उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति/2021-22

दिनांक : 30.07.21

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन के विस्तृत दिशा निर्देश वर्ष 2021-22

कक्षा 11 से 12 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/विशेष समूह योजना (MBC)

/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC)/डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं

अर्द्धघुमन्तु (DNT) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विस्तृत दिशा निर्देश

पात्रता एवं शर्त :-

1. कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु केवल अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग के केवल राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
2. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जन जाति (ST), एवं विशेष समूह योजना (MBC) (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग-SBC) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.50 लाख रुपये तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1.50 लाख रुपये तक वार्षिक आय सीमा एवं निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। जैसे- बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री/पुत्र, अन्तोदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र।
4. डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1.00 लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
5. डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.00 लाख रुपये तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
6. सभी विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र संस्थाप्रधान से अथवा विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर वांछित दस्तावेजों के साथ अध्ययनरत विद्यालय के संस्थाप्रधान को जमा करावें।
7. छात्र-छात्रा मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी स्वयं एवं अभिभावक के ही देवें।
8. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज साथ रखने होंगे ताकि आवश्यकता होने पर वांछित दस्तावेज संबंधित संस्थाप्रधान को जमा करना होगा। जैसे आय का घोषणा पत्र (विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र), जाति प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण पत्र
9. आय का घोषणा पत्र वर्ष 2021-22 हेतु एक पृष्ठीय निर्धारित प्रपत्र में छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित नहीं होने पर संरक्षक) द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
10. जनाधार/आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
11. विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं करवाये जाने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि जनाधार में अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने बैंक खाते में ही राशि हस्तान्तरण करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को जनाधार पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा लिंक किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार है:-
(ए) छात्र के खाते में लेनदेन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय-अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।
(बी) बैंक खाता बन्द नहीं हो।
12. कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) होंगे।

13. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
14. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
15. किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी उसी कक्षा में रहता है तो उसे दुसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
16. पिछले सत्र 2020-21 में शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में ऑनलाईन आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र 2021-22 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण आवेदन हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में पिछले वर्ष की प्राप्त स्वतः सूचना के आधार पर जन आधार /आधार ऑथेंटिकेशन (JanAadhar/Aadhar Authentication) , जन आधार से लिंक विद्यार्थी या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से सम्बन्धित सूचना एवं विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय को अपडेट करना अनिवार्य होगा। संस्थाप्रधान यह भी सुनिश्चित कर लेवे कि विद्यार्थी का बैंक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाते को पोर्टल पर फेच (Fetch)करना होगा। नव प्रवेशित विद्यार्थी से समस्त सूचनाएँ प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण नवीन ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचनाएँ भरी जानी अनिवार्य होगी।

छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

1. छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
2. छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका/कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
4. आधार कार्ड तथा जन-आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियां निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	अंतिम तिथि
(अ)	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु केवल राजकीय विद्यालयों के कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा संस्था प्रधान से शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार ऑनलाईन रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने एवं संस्थाप्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	16.08.2021

विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।


(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान

बीकानेर

राजस्थान सरकार
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन पत्र प्रारूप
वर्ष 2021-22

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

विद्यार्थी की छात्रवृत्ति यूनीक आई.डी.....

(पूर्ति संस्थाप्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल से की जावेगी)

विद्यालय का नाम	:					
छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है	:					
विद्यार्थी का विवरण							
1	विद्यार्थी का नाम	:				
2	जन्म तिथि	:	DD	MM	YYYY		
3	धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/बौद्ध/जैन/अन्य)	:				
4	लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर)	:				
5	कक्षा जिसमें अध्ययनरत है	:				
6	विद्यार्थी का S.R.नम्बर (विद्यालय द्वारा भरा जावे)	:				
6	गत कक्षा के विद्यालय का नाम व पता	:				
7	गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक का विवरण (कमोन्नत प्रमाण पत्र एवं कक्षा 9-12 में प्रतिशत)	:	कक्षा	पूर्णांक	प्राप्तांक	ग्रेड/ प्रतिशत	कक्षा कमोन्नत
8	जाति वर्ग (अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु/अर्द्धघुमन्तु)	:				
9	डे-स्कॉलर/हॉस्टलर	:				
10	विद्यार्थी का आधार नम्बर	:				
11	आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी ने आधार के लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:				
12	जन-आधार/भामाशाह नम्बर	:				
13	जन-आधार का एक्नोलेजमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी के परिवार ने जन-आधार कार्ड के लिए आवेदन किया हो)	:				

	परन्तु उन्हें जन-आधार कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)		
14	छात्र का बैंक खाता जन-आधार कार्ड से लिंक है (हां/नहीं)	:
15	विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर	:
16	विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी.	:
विद्यार्थी के परिवार का विवरण			
17	पिता का नाम	:
18	माता का नाम	:
19	संरक्षक का नाम (माता-पिता के जीवित ना होने पर)	:
20	परिवार की वार्षिक आय	:
21	स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम	:
22	राशन कार्ड नम्बर	:
23	क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है (हां/नहीं) यदि हां तो विवरण दें	:

क्र.सं.	योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संलग्न कर <input checked="" type="checkbox"/> करें
1	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा-पत्र	
2	छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रति)।	
3	विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।	
4	विद्यार्थी की आधार कार्ड तथा जन-आधार/भामाशाह कार्ड (स्वप्रमाणित प्रति)।	

नोट :- वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए सामने के कॉलम में का निशान अंकित करें।

हस्ताक्षर विद्यार्थी

आय का घोषणा पत्र

(विद्यार्थी के पिता/माता/संरक्षक द्वारा भरा जावेगा)

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2021-22 के लिए

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी उम्र.....

वर्ग (कैटेगरी).....निवासी

.....घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी समस्त स्रोतों

से कुल वार्षिक आय.....रूपये है।

आय संबंधी उक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि मेरे द्वारा उदघोषित आय गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

विद्यार्थी का नाम

विद्यार्थी की कक्षा

विद्यार्थी से घोषणाकर्ता का संबंध

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

